<u>न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम अम्बेडकर नगर।</u>

<u>उपस्थितः–राम विलास सिंह, 'उच्चतर न्यायिक सेवा'</u>

UPAN010004312010

Session Trial/100205/2010

सरकार ....अभियोजन

<u>बनाम</u>

1– जिलाजीत राजभर पुत्र रामू निवासी उसरहा थाना कोतवाली अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर। **(इस अभियुक्त की पत्रावली पृथक की जा चुकी है)**

2– मटरू पुत्र सन्तराम निवासी दुल्लापुर सीहमई कारीरात थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद–अम्बेडकरनगर। **(दौरान विचारण मृतक)**

3– कल्लू पठान उर्फ मंजूर खान आयु लगभग–55 साल पुत्र अख्तर निवासी घोसियाना अमरौला थाना कोतवाली अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर।

4– छोटेलाल वर्मा **(इस अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र मफरूरी में प्रेषित किया गया है)**

––––––––अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्याः–672/2010
धारा–395, 412 भा0दं0सं0
थाना–कोतवाली अकबरपुर
जिला–अम्बेडकर नगर।

<u>निर्णय</u>

1. अभियुक्तगण **जिलाजीत राजभर, मटरू, कल्लू पठान उर्फ मंजूर खां** का विचारण उपरोक्त सत्र परीक्षण वाद में पुलिस थाना–कोतवाली अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र मु0अ0सं0–672/2010 अंतर्गत धारा–395, 412 भा0दं0सं0 के आधार पर किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि ''प्रार्थी योगेन्द्र कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री भगवती प्रसाद त्रिपाठी निवासी साबुन विभाग गली, गांधी आश्रम अकबरपुर, अम्बेडकरनगर का निवासी है। जनपद न्यायालय में वकालत करता हूं।

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2026.03.10 12:31:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आज दिनांकः 09/10.07.2010 को रात में खाना पीना करके आंगन में सो गये थे, परिवार सहित। समय लगभग 01:30 बजे के बीच कुछ बदमाश चहारदीवारी फांद करके अन्दर घुस गये। ताला तोड़कर सामान लूट लिए, तोड़े फोड़े। तोड़ फोड़ की आवाज सुनकर जग गये, विरोध करने पर बदमाशों ने डण्डा लोहे की सरिया से मारने लगे, जिससे मेरी पत्नी श्रीमती उर्मिला उम्र लगभग 45 साल, पुत्री निधि उम्र 14 साल व प्रज्ञा उम्र लगभग 18 साल तथा पुत्र प्रवीण कुमार उम्र लगभग 20 साल को तथा प्रार्थी को काफी चोटे आयी हैं। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश सामान लेकर मोहसिनपुर जौहरडीह की तरफ लेकर भाग गये। लूटे हुए सामानों की सूची वाद में दी जाएगी। अतः निवेदन है कि मेरी रिपोर्ट लिखकर वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा की जाये।

3. उपर्युक्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली अकबरपुर पर मु0अ0सं0 672/2010, धारा–395 भा0दं0सं0 के तहत कुछ बदमाश नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया, जिसकी चिक संख्या–209/2010 दिनांक 10.07.2010 को समय 05:15 बजे किता की गई। दौरान विवेचना, विवेचक ने गवाहान के बयान लिये, घटना–स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया तथा विवेचना के उपरांत अभियुक्तगण जिलाजीत राजभर, मटरू, कल्लू पठान उर्फ मंजूर खां, के विरूद्ध आरोप–पत्र सं0–124/2010 मु0अ0सं0 672/2010, अन्तर्गत धारा–395,412 भा0दं0सं0 विचारण हेतु प्रेषित किया गया। अभियुक्त छोटेलाल वर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र मफरूरी में प्रेषित किया गया है तथा अभियुक्त राजेन्द्र के विरूद्ध विवेचना प्रचलित होने के संबंध में केस डायरी के पर्चा नं0–27 दिनांकितः 01.10.2010 में अंकन किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रेषित आरोप–पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर द्वारा दिनांक 11.10.2010 को प्रसंज्ञान लिया गया तथा दिनांकः 18.11.2010 को पत्रावली सत्र सुपुर्द किया गया।

5. अभियुक्त छोटे लाल के विरूद्ध आरोप पत्र मफरूरी में प्रेषित किया गया तथा अभियुक्त मटरू की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध प्रकरण की कार्यवाही दिनांकः 11.07.2023 को उपशमित की गयी। अभियुक्त जिलाजीत के लगातार फरार होने के कारण उसके विरूद्ध एन0बी0डब्लू0 व धारा–82,83 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही प्रचलित हुई एवं अभियुक्त जिलाजीत की पत्रावली दिनांकः 28.11.2024 को पृथक की गयी। जिस कारण इस सत्र परीक्षण वाद में एक मात्र शेष अभियुक्त कल्लू पठान उर्फ मंजूर खां का विचारण किया जा रहा है। अभियुक्त कल्लू पठान

उर्फ मंजूर खां व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण में आरोप विरचित नहीं किया गया है अपितु सीधे साक्ष्य अंकित किया गया है।

6. अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर साक्ष्य अंकित कराया गया।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को सिद्ध करने हेतु, मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षण कराया गया हैः–

कम सं0	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार
1	पी0डब्लू0 1	योगेन्द्र	वादी मुकदमा
2	पी0डब्लू0 2	उर्मिला त्रिपाठी	तथ्य की साक्षी
3	पी0डब्लू0 3	निधि त्रिपाठी	तथ्य की साक्षी
4	पी0डब्लू0 4	रामनयन यादव	औपचारिक/पुलिस साक्षी
5	पी0डब्लू0 5	प्रज्ञा त्रिपाठी	तथ्य की साक्षी
6	पी0डब्लू0 6	प्रवीण कुमार त्रिपाठी	तथ्य का साक्षी
7	पी0डब्लू0 7	सी0ओ0 विमल कुमार सिंह	विवेचक/औपचारिक साक्षी
8.	पी0डब्लू0 8	नन्दलाल यादव	औपचारिक साक्षी

9. अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित प्रपत्रों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन प्रपत्र	**प्रदर्श**	**सिद्ध करने वाला साक्षी**
तहरीर	प्रदर्श क–1	पी.डब्लू. 1
फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–2	पी.डब्लू. 1
जेवरात की सूची	प्रदर्श क–3	पी.डब्लू. 1
चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–4	पी.डब्लू. 4
कायमी जी0डी0	प्रदर्श क–5	पी.डब्लू. 4
नक्शा नजरी	प्रदर्श क–6 प्रदर्श क–7	पी.डब्लू. 4
फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–8	पी.डब्लू. 4
आरोप–पत्र	प्रदर्श क–9	पी.डब्लू. 7
चोटहिलों की चिकित्सीय परीक्षण आख्या	प्रदर्श क–9, प्रदर्श क–10 प्रदर्श क–11 प्रदर्श क–12 प्रदर्श क–13	पी.डब्लू. 8

10. अभियुक्त कल्लू पठान उर्फ मंजूर खां का बयान अंतर्गत धारा–313 द.प्र.सं. दिनांकः 06.02.2026 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने घटना को गलत होने का कथन किया गया तथा साक्षीगण के साक्ष्य के संबंध में गलत बयान दिये जाने का कथन किया गया तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन किया। यह भी कथन किया गया है कि–घटना वाले दिन मैं कलकत्ता था। कथित घटना के 27,28 दिन बाद मैं घर आया और घर से मुझे पकड़कर ले गये और झूठा मुकदमा लगाकर चालान कर दिया।

11. बचाव पक्ष को सफाई साक्ष्य का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया इसके बावजूद भी उनकी तरफ से कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

12. मैंने प्रस्तुत मामले में राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तार से सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक्रूपेण अवलोकन किया।

13. दण्ड न्याय शास्त्र का यह विधिक सिद्धांत है कि अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किये जाने पर ही अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है अन्यथा नहीं।

14. अभियोजन द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांकः 09/10.07.2010 को समय लगभग 01:30 बजे रात्रि स्थान बहद् ग्राम साबुन विभाग गली, थाना कोतवाली अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत वादी मुकदमा के घर में घुसकर डकैती की गयी तथा चुराई हुई सम्पत्ति को यह जानते हुए कि वह डकैती द्वारा प्राप्त की गयी है, अभिप्राप्त किया गया। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्य से एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रो से घटना की पुष्टि होती है और अभियुक्त दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

15. उपरोक्त तर्क का विरोध करते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त निर्दोष है और अभियोजन, अभियोग कथानक को संदेह से परे साबित कर पाने में असफल रहा है। अभियोग मिथ्या है। तथ्य के साक्षियों द्वारा अभियोग कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य में विरोधाभास है। अभियोजन, अभियुक्त के विरूद्ध आरोप

साबित करने में असफल रहा है। साक्षीगण का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

16. हस्तगत प्रकरण में अन्य अभियुक्तगण सहित अभियुक्त पर यह अभियोग है कि दिनांकः 09/10.07.2010 को समय लगभग 01:30 बजे रात्रि स्थान बहद् ग्राम साबुन विभाग गली, थाना कोतवाली अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत वादी मुकदमा के घर में घुसकर डकैती की गयी तथा चुराई हुई सम्पत्ति को यह जानते हुए कि वह डकैती द्वारा प्राप्त की गयी है, अभिप्राप्त किया गया।

अभियोजन साक्ष्य

17. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू. 1 योगेन्द्र कुमार त्रिपाठी** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि, ''घटना दिनांकः 09/10.07.2010 की रात करीब 01:30 बजे की है, मैं अपने परिवार के साथ खाना पीना खाकर सो रहा था, हम सभी लोग आंगन में, अलग–अलग चारपाई पर सो रहे थे। रात्रि करीब 01:30 बजे खट–पट/तोड़फाड़ की आवाज पर हम सभी लोग जग गये तो देखा कुछ बदमाश मेरी चाहार दीवारी फांदकर मेरे घर में घुस गये थे। बदमाश चड्ढी–बनियान पहने हुए थे और उनके हाथों में, डण्डा व लोहे की सरिया थी। मैंने व मेरे परिवार के लोगों ने बदमाशों को देखा व पहचाना था, सामने आने पर उन्हें पुनः पहचान सकता हूं, मुझे किसी बदमाश के नाम की जानकारी उस समय नहीं थी। उसमे से एक बदमाश लंगड़ाकर चल रहा था। सभी बदमाशों ने मेरे घर में ताला तोड़फोड़ रहे थे। जब हम लोगों ने विरोध किया तो सभी बदमाश मिलकर मुझे व मेरी पत्नी उर्मिला, पुत्री निधि व प्रज्ञा तथा पुत्र प्रवीण कुमार को डण्डे व लोहे की राड से मारा पीटा थां बदमाश मेरे घर से जेवर व कपड़े लूट कर लेकर चले गये थे। घर में रखी टी.वी. को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया था। मुल्जिमानों के मारने से मुझे व मेरे परिवार के लोगों को काफी चोटे आयी थी, मैंने घटना के संबंध में थाना–कोतवाली जिला अम्बेडकरनगर में लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया था। साक्षी ने शामिल पत्रावली तहरीर कागज सं0–4अ/2 पर अपने हस्ताक्षर व लेख का पहचान किया, जिस पर प्रदर्श–क1 डाला गया। दौरान विवेचना विवेचक ने उपरोक्त मुकदमे के मुल्जिमानों के पास से मेरा लूटा गया कुछ सामान बरामद किया था। अभियुक्त कल्लू पठान उर्फ मंजूर खान को जब पुलिस वालों ने पकडा था तो मुझे सूचना दिया था। मैं मौके पर पहुंचा तो अभियुक्त व अपने जेवरात आदि की पहचान किया। पुलिस वालों ने मेरे

तथा मेरे पविार के लोगों के शरीर पर आये चोटों का डाक्टरी मुवायना सरकारी अस्पताल में कराया था। साक्षी ने शामिल पत्रावली फर्द बरामदगी कागज सं0–5अ/23 पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया, जिस पर प्रदर्श–क2 डाला गया। जेवरात मुल्जिमानों ने मेरे घर से लूटा था। उस जेवरात की सूची जो मुझे उस समय याद थी तथा कपड़े व नकदी थी जो याद थी बताकर/लिखकर पुलिस वालों को दिया था, जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है, जिसे मैं तस्दीक करता हूं, जिस पर प्रदर्श–क3 डाला गया। उपरोक्त मुकदमे के विवेचक ने मेरा बयान लिया था। मैंने उन्हें घटना स्थल दिखाया था, जो सामान पुलिस वालों ने बरामद किया था। उसे अभी मैंने अवमुक्त नहीं कराया है, वह थाने पर ही है। मुल्जिमानों की संख्या पांच थी, जो मेरे घर में घुसकर घटना के दिन मुझे तथा मेरे परिवार वालों को मृत्यु के भय में डालकर लूटपाट किये थे।....................उपरोक्त मुकदमे का माल मुकदमाती सील्ड युक्त अवस्था में मेरे समक्ष है, जिसे न्यायालय की अनुमति से खोला गया। साक्षी ने अपने घर से लूटी गई/चोरी गई माल मुकदमाती जेवरात की पहचान किया, जिस पर वस्तु प्रदर्श–एक डाला गया। साक्षी ने हाजिर अदालत मुल्जिम कल्लू पठान को देखकर पहचान किया और बताया कि इसी मुल्जिम के पास से पुलिस वालों ने मेरे घर से लूटी गई जेवरात सामान बरामद किया था।''

18. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू. 2 उर्मिला त्रिपाठी** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि, ''मैं आज न्यायालय द्वारा जारी सम्मन पर गवाही देने पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लेकर आयी हूं, जिसकी छायाप्रति पत्रावली में दाखिल कर रही हूं, घटना दिनांकः 9/10 जुलाई 2010 की रात करीब डेढ़ बजे की है, मैं अपने परिवार के साथ खाना पीना खाकर सो रही थी, करीब डेढ़ बजे रात में तोड़ फोड़ व खट पट की आवाज सुनाई दी तब मैं मेरे पति व परिवार के अन्य लोग जग गये तो देखा कुछ बदमाश मेरी चहारदीवारी कूद कर मेरे घर में घुस गये थे, बदमाश कच्छा बनियान पहने थे और उनके हाथों में डंडा व लोहे की राड थी, हम लोगों ने बदमाशों को चादनी रात व बिजली के प्रकाश की रोशनी में मुल्जिमानों को देखा व पहचाना, बदमाशों में से एक बदमाश लगड़ाकर चल रहा था, सभी बदमाश मिलकर मेरे घर का ताला तोड़ रहे थे, हम लोग डरते डरते हुए बदमाशों को ताला तोड़ने से मना किया तो सभी बदमाश मिलकर मुझे, मेरे पति को, मेरी पुत्री निधि व पुत्र प्रवीण कुमार को भी डंडे व लोहे की राड़ से मारे पीटे तथा घर के अंदर घुसकर जेवरात व कपड़े

लूटकर चले गये, घर में रखे टी.वी. को भी तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। मुल्जिमानों के मारने से मुझे व मेरे परिवार के अन्य लोगों को काफी चोटे आयी थी। घटना की रिपोर्ट मेरे पति ने थाने पर दर्ज करायी थी। दौरान विवेचना पुलिस वालों ने उपरोक्त मुकदमे के मुल्जिमानों के पास से मेरे घर से लूटी गयी जेवरात व अन्य सामान को बरामद किया था, अभियुक्त कल्लू पठान उर्फ मंजूर खान को पुलिस वालों ने पकड़ा था तब हम लोगों को सूचना हुई थी, मेरे पति मौके पर गये थे और जेवरात को पहचाना था। हम लोगों के शरीर पर आयी चोटों का डाक्टरी मुआइना सरकारी अस्पताल में हुआ है, बरामद साड़ी व अंगूठी की पहचान मेरी लड़की ने किया था, पांच बदमाश मेरे घर के अन्दर घुसकर मारपीट किये थे, हम लोगों को मृत्यु के भय में डालकर लूटपाट लिये थे। बाद में मुझे जानकारी हुई कि जो मुल्जिमान मेरे घर में घुसकर हम लोगों को मृत्यु के भय में डालकर लूटपाट किये थे, उनका नाम जिलाजीत राजभर, मटरू, कल्लू पठान, छोटे लाल वर्मा व राजेन्द्र यादव था। घटना के संबंध में पुलिस वालों ने मेरा भी बयान लिया था।''

19. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू. 3 निधि त्रिपाठी** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि, ''मैं आज न्यायालय द्वारा जारी सम्मन पर गवाही देने पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लेकर आयी हूँ, जिसकी छायाप्रति पत्रावली में दाखिल कर रही हूँ, घटना दिनांक 09-10 जुलाई 2010 की रात करीब डेढ़ बजे की है, मैं अपने परिवार के साथ खाना-पीना खाकर सो रही थी, करीब डेढ़ बजे रात में तोड़-फोड़ व खट पट की आवाज सुनाई दी तब मैं, मेरे - मम्मी पापा व परिवार के अन्य लोग उठे तो देखा कुछ बदमाश मेरी चहारदीवारी कूद कर मेरे घर में घुस गये थे, बदमाश कच्छा-बनियान पहने थे और उन लोगों के हाथ में डंडा व लोहे की राड़ था, हम लोगों ने चादनी रांत व बिजली के प्रकाश की रोशनी में बदमाशों को देखा व पहचाना, बदमाशों में से एक बदमाश लगड़ाकर चल रहा था, सभी बदमाश मिलकर मेरे घर का ताला तोड़ रहे थे, हम लोग डरते-डरते हुए बदमाशों को ताला तोड़ने से मना किया तो सभी बदमाश मिलकर मुझे, मेरे माता -पिता, भाई प्रवीण कुमार व बहन प्रज्ञा को भी डंडे व लोहे की राड़ से मारे-पीटे तथा घर के अंदर घुसकर जेवरात व कपड़े लूटकर चले गये, घर में रखे टी०वी० को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया, मुल्जिमानों के मारने से मुझे व मेरे परिवार के अन्य लोगों को काफी चोटे आयी थी, घटना की रिपोर्ट मेरे पिता ने थाने पर दर्ज करायी थी,

दौरान विवेचना पुलिस वालों ने उपरोक्त मुकदमें के मुल्जिमानों के पास से मेरे घर से लूटी गयी जेवरात व अन्य सामान को बरामद किया था, अभियुक्त कल्लू पठान उर्फ मंजूर खान को पुलिस वालों ने पकड़ा था तब पुलिस वालों ने मेरे परिवार वालों को सूचना दी थी, तब मेरे पिता मौके पर गये थे और मुल्जिम कल्लू पठान उर्फ मंसूर खान को व जेवरातों को पहचाना था, हम लोगों के शरीर पर आयी चोटों का डॉक्टरी मुआइना जिला अस्पताल अम्बेडकर नगर में हुआ है, मुझे व मेरी मां को गंभीर चोट आने के कारण चिकित्सकों ने हम लोगों को ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रिफर किया था जहां पर हम लोगों का इलाज हुआ था, मेरे भाई व बहन ने बरामद साड़ी व अंगूठी की पहचान किया था, पांच बदमाश मेरे घर के अंदर घुसकर मारपीट किये थे, हम लोगों को मृत्यु के भय में डालकर लूट-पाट लिये थे, बाद में हम लोगों जानकारी हुई की जो मुल्जिमान मेरे घर में घुसकर हम लोगों को मृत्यु के भय में डालकर लूटपाट किये थे उनके नाम जिलाजीत राजभर, कल्लू पठान, छोटे लाल वर्मा, मटरू, व राजेन्द्र यादव था। घटना के सम्बन्ध में पुलिस वालों ने मेरा भी बयान लिया था।''

20. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू. 4 श्रीराम नयन यादव** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि–''मैं दिनांक5 10.07.10 को थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर में कांस्टेबल मोहर्रिर के पद पर कार्यरत था। उस दिन वादी मुकदमा की लिखित तहरीर व थाना प्रभारी के मौखिक आदेश पर मैंने उपरोक्त मुकदमे की चिक व कायमी नकल रपट संख्या 4 समय 05:15 बजे दिनांकः 10.07.10 को अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है, जिसे मैं तस्दीक करता हूं। चिक पर प्रदर्श क–4 व कायमी पर प्रदर्श क–5 डाला गया। उपरोक्त मुकदमे की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी विमल कुमार सिंह द्वारा की गयी। जिसके पश्चात् विवेचक विमल कुमार सिंह द्वारा उपरोक्त मुकदमे के अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में रहते हुए अभियुक्तगण जिलाजीत राजभर, मटरू, कल्लू पठान व छोटेलाल वर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांकः 01.10.2010 को तैयार किया गया। फर्द बरामदगी माल मुकदमाती व नक्शा नजरी भी उन्हीं के लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूं। नक्शा नजरी पर प्रदर्श–क6 व प्रदर्श–क7 व फर्द बरामदगी पर प्रदर्श–क8 डाला गया तथा एक अन्य फर्द बरामदगी पर पूर्व में प्रदर्श–क2 डाला गया है। उपरोक्त मुकदमे के विवेचक तत्कालीन थाना प्रभारी विमल कुमार सिंह ने

मेरा बयान लिया था।''

21. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू. 5 प्रज्ञा त्रिपाठी** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि–''मैं आज न्यायालय द्वारा जारी सम्मन पर गवाही देने पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लेकर आयी हूँ, जिसकी छायाप्रति पत्रावली में दाखिल कर रही हूँ, घटना दिनांक 09/10 जुलाई 2010 की रात करीब 01:30 बजे की है, मैं अपने परिवार के साथ खाना खाकर आंगन में सो रही थी, करीब 01:30 बजे रात में तोड़-फोड़ व खट-पट की आवाज सुनाई दी तब मैं, मेरे - मम्मी पापा व परिवार के अन्य सदस्य उठे और देखा कुछ बदमाश मेरी चहारदीवारी को कूद कर मेरे घर में घुस गये थे, बदमाश कच्छा-बनियान पहने थे और उन लोगों के हाथ में लोहे की राड़ व डंडा था, हम लोगों ने उजाली रांत व बल्ब के प्रकाश में बदमाशों को देखा व पहचाना, बदमाशों में से एक बदमाश लगड़ा कर चल रहा था, सभी बदमाश मिलकर मेरे घर का ताला तोड़ रहे थे, हम लोग डरते-डरते हुए बदमाशों को ताला तोड़ने से मना किया तो सभी बदमाश मिलकर मुझे, मेरे माता -पिता, भाई प्रवीण कुमार व बहन निधि को भी लोहे की राड़ व डंडे से मारे-पीटे तथा घर के अंदर घुसकर जेवरात व कपड़ों को लूटकर चले गये, घर में रखे टी०वी० को क्षतिग्रस्त कर दिया, मुल्जिमानों के मारने से मुझे व मेरे परिवार के अन्य लोगों को काफी चोटे आयी थी, घटना की रिपोर्ट मेरे पिता ने थाने पर लिखवायी थी, दौरान विवेचना पुलिस वालों ने उपरोक्त मुकदमें के मुल्जिमानों के पास से मेरे घर से लूटी समान व जेवरातों को बरामद किया था, अभियुक्त कल्लू पठान उर्फ मंजूर खान को पुलिस वालों ने पकड़ा था, मेरे पिता मौके पर गये थे और मुल्जिम कल्लू पठान उर्फ मंसूर खान को व जेवरातों को पहचाना था, हम लोगों के शरीर पर आयी चोटों का डॉक्टरी मुआइना जिला अस्पताल अम्बेडकर नगर में हुआ है, मेरी बहन निधि व मेरी मां को गंभीर चोट आने के कारण चिकित्सकों ने उन लोगों को ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रिफर किया था जहां पर उन लोगों का इलाज हुआ था, मैंने बरामद साड़ी व अंगूठी की पहचान किया था, पांच बदमाश मेरे घर के अंदर घुसकर मारपीट किये थे, हम लोगों को मृत्यु के भय में डालकर लूट-पाट लिये थे, बाद में हम लोगों जानकारी हुई की जो मुल्जिमान मेरे घर में घुसकर हम लोगों को मृत्यु के भय में डालकर लूटपाट किये थे उनके नाम जिलाजीत राजभर, मटरू, कल्लू पठान, छोटे लाल वर्मा व राजेन्द्र यादव था। घटना के सम्बन्ध में पुलिस वालों ने मेरा भी बयान लिया था। ....उपरोक्त मुकदमें का माल मुकदमाती जिसे अभियुक्त जिलाजीत व मटरू के पास से पुलिस वालों ने बरामद किया था, साड़ी व सोने की अंगूठी सीलयुक्त अवस्था में न्यायालय के समक्ष मौजूद है, जिसे न्यायालय की अनुमति से खोला गया, साक्षी ने माल मुकदमाती साड़ी व अंगूठी की पहचान किया जिस पर वस्तु प्रदर्श 2 व वस्तु प्रदर्श 3 डाला गया, उपरोक्त मुकदमें के विवेचक ने मेरा बयान लिया था।''

22. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू. 6 प्रवीण कुमार त्रिपाठी** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि–''मैं

आज न्यायालय द्वारा जारी सम्मन पर गवाही देने पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लेकर आया हूँ, जिसकी छायाप्रति पत्रावली में दाखिल कर रहा हूँ, घटना दिनांक 09-10 जुलाई 2010 की रात करीब 01:30 बजे की है, मैं अपने परिवार के साथ खाना-पीना खाकर सो रहा था, रात करीब डेढ़ बजे तोड़-फोड़ व खट पट की आवाज सुनाई दी तब मैं, मेरे - मम्मी पापा व परिवार के अन्य लोग उठे तो देखा कुछ बदमाश मेरी चहारदीवारी कूद कर मेरे घर में घुस गये थे, बदमाश कच्छा-बनियान पहने थे और उन लोगों के हाथ में डंडा व लोहे की राड़ था, हम लोगों ने चादनी रांत व बिजली के प्रकाश की रोशनी में बदमाशों को देखा व पहचाना, बदमाशों में से एक बदमाश लगड़ाकर चल रहा था, सभी बदमाश मिलकर मेरे घर का ताला तोड़ रहे थे, हम लोग डरते-डरते हुए बदमाशों को ताला तोड़ने से मना किया तो सभी बदमाश मिलकर मुझे, मेरे माता - पिता, बहन प्रज्ञा व निधि को भी डंडे व लोहे की राड़ से मारे-पीटे तथा घर के अंदर घुसकर जेवरात व कपड़े लूटकर चले गये, घर में रखे टी०वी० को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया, मुल्जिमानों के मारने से मुझे व मेरे परिवार के अन्य लोगों को काफी चोटे आयी थी, घटना की रिपोर्ट मेरे पिता ने थाने पर दर्ज करायी थी, दौरान विवेचना पुलिस वालों ने उपरोक्त मुकदमें के मुल्जिमानों के पास से मेरे घर से लूटी गयी जेवरात व अन्य सामान को बरामद किया था, हम लोगों के शरीर पर आयी चोटों का डॉक्टरी मुआइना जिला अस्पताल अम्बेडकर नगर में हुआ है, मेरी बहन व मां को गंभीर चोट आने के कारण चिकित्सकों ने उऩ लोगों को ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रिफर किया था जहां पर उऩ लोगों का इलाज हुआ था, हम लोगों को मृत्यु के भय में डालकर मुल्जिमानों ने लूट-पाट किया था, बाद में हम लोगों जानकारी हुई की जो मुल्जिमान मेरे घर में घुसकर हम लोगों को मृत्यु के भय में डालकर लूटपाट किये थे उनके नाम जिलाजीत राजभर, कल्लू पठान, छोटे लाल वर्मा, मटरू, व राजेन्द्र यादव था। घटना के सम्बन्ध में पुलिस वालों ने मेरा भी बयान लिया था।''

23. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू. 7 श्री विमल कुमार सिंह, सी0ओ0** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि–'' मैं दिनांक 10.07.2010 को थाना - कोतवाली अकबरपुर, जनपद – अम्बेडकरनगर में प्रभारी निरीक्षक के पद पर कार्यरत था, उस दिन वादी मुकदमा के लिखित तहरीर के आधार पर उपरोक्त मुकदमा थाने पर दर्ज हुआ था, जिसकी विवेचना मेरे द्वारा स्वयं ग्रहण की गयी, दिनांक 10.07.2010 को पर्चा नं० 1 किता किया जिसमें नकल चिक नकल रपट, चोटहिल योगेन्द्र कुमार, प्रवीण, निधि, कु० प्रज्ञा का मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसका अवलोकन कर संलग्न सी०डी० किया, वादी मुकदमा योगेन्द्र कुमार त्रिपाठी का बयान अंकित किया और उसकी निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा-नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया, जिस पर प्रदर्श क 6 पूर्व में डाला गया है। समयी साक्षी के रूप में जगदम्बा पाण्डेय, विजय कुमार का बयान अंकित किया, दिनांक 11.07.2010 को पर्चा नं० 2 में अभियुक्तगण के बारे में पता किया किन्तु कोई लाभप्रद जानकारी नहीं हो सकी और दिनांक 12.07.2010 को पर्चा नं० 3 में वादी

योगेन्द्र कुमार त्रिपाठी का मजीद बयान अंकित किया। दिनांक 13.07.2010 को पर्चा नं० 4 में चोटहिल रवीन्द्र त्रिपाठी, कु० प्रज्ञा का बयान अंकित किया। अभियुक्त जिलाजीत राजभर, मटरू को नियमानुसार गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित किया। अभियुक्तों ने घटना को स्वीकार किया। फर्द बरामदगी माल अभियुक्त की निशादेही पर बरामद कर सील-मोहर कर नमूना मोहर तैयार कर फर्द बरामदगी तैयार की गयी। फर्द पर मौजूद लोगों ने अपना हस्ताक्षर बनाया तथा उसकी नक्शा-नजरी भी बनाया, जिस पर पूर्व में प्रदर्श क7 व प्रदर्श क8 डाला गया है तथा अभियुक्त नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड की याचना किया। दिनांक 14.07.2010 को पर्चा नं० 5 से दिनांक 01.08.2010 को पर्चा नं० 13 तक किता किया जिसमें अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र, धारा 82 व धारा 83 के संबंध में कार्यवाही किया। दिनांक 08.08.2010 को पर्चा नं० 14 में अभियुक्त कल्लू पठान को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से वादी के घर से लूटे गये चांदी के जेवरात को बरामद कर सील मोहर किया गया। फर्द भी मौके पर नियमानुसार तैयार किया गया और मौजूद लोगों के हस्ताक्षर बनवाया गया। अभियुक्त का नियमानुसार बयान अंकित करने के पश्चात् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड की याचना किया। फर्द बरामदगी पर पूर्व में प्रदर्श क2 डाला गया है। दिनांक 12.08.2010 से दिनांक 12.09.2010 तक पर्चा नं० 15 से पर्चा नं० 25 किता किया जिसमें सह अभियुक्त राजेन्द्र यादव के सम्बन्ध में हुई कि वह किसी अन्य मुकदमें में जिला कारागार जौनपुर में निरूद्ध है, वारण्ट बी० लेने हेतु न्यायालय को रिपोर्ट को प्रेषित किया, वारण्ट बी० प्राप्त हुआ तथा उपरोक्त मुकदमें में न्यायालय की अभिरक्षा में नियमानुसार भेजा गया। अभियुक्त छोटे लाल के सम्बन्ध में धारा 82 व धारा 83 हेतु कार्यवाही किया। दिनांक 24.09.2010 को पर्चा नं० 26 में चोटहिल उर्मिला तिवारी, कु० निधि, कु० प्रभा का बयान अंकित किया। अभियुक्त छोटे लाल के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ से छोटेलाल को परेशान न करने का निर्देश प्राप्त किया। दिनांक 01.10.2010 को पर्चा नं० 27 में तमामी विवेचना के आधार पर उपरोक्त मुकदमें के अभियुक्तगण जिलाजीत, मटरू, कल्लू उर्फ पठान के विरूद्ध धारा 395 व 412 भा०दं०सं० में आरोप पत्र तथा अभियुक्त छोटेलाल वर्मा के विरूद्ध धारा 395 व 412 भा०दं०सं० में मखरूरी में आरोप पत्र अपने हस्ताक्षर में तैयार किया तथा अभियुक्त राजेन्द्र यादव के विरूद्ध विवेचना जारी रखी। शामिल पत्रावली आरोप पत्र को मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क9 डाला गया।''

24. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू. 8 नन्दलाल यादव, चीफ फार्मासिस्ट** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि–''मैं आज न्यायालय द्वारा जारी सम्मन पर गवाही देने आया हूं। उपरोक्त मुकददमे के चोटहिल योगेन्द्र कुमार त्रिपाठी, प्रवीण, निधि, प्रज्ञा, उर्मिला का मेडिकोलीगल रिपोर्ट दिनांकः 10.07.10 को डाक्टर वी0बी0गौतम द्वारा किया गया है। जिनकी वर्तमान समय में मृत्यु हो चुकी है। उपरोक्त चोटहिलों का मेडिकोलीगल

रजिस्टर में लेकर आया हूं। मेडिकोलीगल रजिस्टर से मिलान करने पर शामिल पत्रावली का0सं0–5अ/5 लगायत 5अ/9 की रिपोर्ट सही पायी गयी, जिसको मैं तस्दीक करता हूं। जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–9, प्रदर्श क–10, प्रदर्श क–11, प्रदर्श क–12 व प्रदर्श क–13 डाला गया।''

25. अभियुक्त के विरूद्ध प्रेषित आरोप–पत्र के आधार पर उसका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया। अब न्यायालय को यह देखना है कि, क्या अभियुक्त पर जिन आपराधिक धाराओं में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है और जिसके संबंध में अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उससे अभियुक्तगण पर अपराध बिना संदेह के पूरी तौर पर साबित होता है अथवा नहीं? अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित करने हेतु साक्षी **पी. डब्लू.1 के रूप में योगेन्द्र कुमार त्रिपाठी** को परीक्षित कराया गया है जो प्रकरण के वादी मुकदमा है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि– ''घटना दिनांकः 09/10.07.2010 की रात करीब 01:30 बजे की है, मैं अपने परिवार के साथ खाना पीना खाकर सो रहा था, हम सभी लोग आंगन में, अलग–अलग चारपाई पर सो रहे थे। रात्रि करीब 01:30 बजे खट–पट/तोडफाड की आवाज पर हम सभी लोग जग गये तो देखा कुछ बदमाश मेरी चाहर दीवारी फांदकर मेरे घर में घुस गये थे। बदमाश चड्ढी–बनियान पहने हुए थे और उनके हाथों में, डण्डा व लोहे की सरिया थी। **मैंने व मेरे परिवार के लोगों ने बदमाशों को देखा व पहचाना था, सामने आने पर उन्हें पुनः पहचान सकता हूं, मुझे किसी बदमाश के नाम की जानकारी उस समय नहीं थी। उसमे से एक बदमाश लंगड़ाकर चल रहा था।** सभी बदमाशों ने मेरे घर में ताला तोड़फोड़ रहे थे। जब हम लोगों ने विरोध किया तो सभी बदमाश मिलकर मुझे व मेरी पत्नी उर्मिला, पुत्री निधि व प्रज्ञा तथा पुत्र प्रवीण कुमार को डण्डे व लोहे की राड से मारा पीटा था। बदमाश मेरे घर से जेवर व कपडे लूट कर लेकर चले गये थे। घर में रखी टी.वी. को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया था। मुल्जिमानों के मारने से मुझे व मेरे परिवार के लोगों को काफी चोटे आयी थी, मैंने घटना के संबंध में थाना–कोतवाली जिला अम्बेडकरनगर में लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया था। साक्षी ने शामिल पत्रावली तहरीर कागज सं0–4अ/2 पर अपने हस्ताक्षर व लेख का पहचान किया, जिस पर प्रदर्श–क1 डाला गया। दौरान विवेचना विवेचक ने उपरोक्त मुकदमे के मुल्जिमानों के पास से मेरा लूटा गया कुछ सामान बरामद किया था। अभियुक्त कल्लू पठान उर्फ मंजूर

खान को जब पुलिस वालों ने पकडा था तो मुझे सूचना दिया था। मैं मौके पर पहुंचा तो अभियुक्त व अपने जेवरात आदि की पहचान किया। पुलिस वालों ने मेरे तथा मेरे पविार के लोगों के शरीर पर आये चोटों का डाक्टरी मुवायना सरकारी अस्पताल में कराया था। साक्षी ने शामिल पत्रावली फर्द बरामदगी कागज सं0–5अ/23 पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया, जिस पर प्रदर्श–क2 डाला गया। जेवरात मुल्जिमानों ने मेरे घर से लूटा था। उस जेवरात की सूची जो मुझे उस समय याद थी तथा कपडे व नकदी थी जो याद थी बताकर/लिखकर पुलिस वालों को दिया था, जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है, जिसे मैं तस्दीक करता हूं, जिस पर प्रदर्श–क3 डाला गया। उपरोक्त मुकदमे के विवेचक ने मेरा बयान लिया था। मैंने उन्हें घटना स्थल दिखाया था, जो सामान पुलिस वालों ने बरामद किया था। उसे अभी मैंने अवमुक्त नहीं कराया है, वह थाने पर ही है। मुल्जिमानों की संख्या पांच थी, जो मेरे घर में घुसकर घटना के दिन मुझे तथा मेरे परिवार वालों को मृत्यु के भय में डालकर लूटपाट किये थे। उपरोक्त मुकदमे का माल मुकदमाती सील्ड युक्त अवस्था में मेरे समक्ष है, जिसे न्यायालय की अनुमति से खोला गया। साक्षी ने अपने घर से लूटी गई/चोरी गई माल मुकदमाती जेवरात की पहचान किया, जिस पर वस्तु प्रदर्श–एक डाला गया। साक्षी ने हाजिर अदालत मुल्जिम कल्लू पठान को देखकर पहचान किया और बताया कि इसी मुल्जिम के पास से पुलिस वालों ने मेरे घर से लूटी गई जेवरात सामान बरामद किया था।'' इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा यह भी स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि घटना के समय वह किसी अभियुक्त को पहचानता नहीं था और न ही उनके नाम की जानकारी थी। सामने आने पर पहचान सकता हूँ।

जिरह में इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि–''**जो बदमाश हमारे घर लूटपाट किये थे उनकी संख्या–5 थी। पॉचों बदमाश डण्डा सरिया लिए थे।** कोई बदमाश खतरनाक आयुध नहीं लिया था। फिर कहा कि बदमाश लिए रहे होगें मैंने देखा नहीं था। **बदमाश लगभग 10 मिनट लूटपाट किये थे। बदमाशों को घर में प्रवेश करते नहीं देखा था।** डेढ बजे रात में प्रवेश किये थे। बदमाश जब लूटपाट करने लगे तब खटपट की आवाज सुनकर मैं जागा। **बदमाश हम लोगों के विरोध करने पर मारे थे।** बोले नहीं थे। मुझे सभी बदमाश नहीं मारे थे। एक बदमाश मारा था और मेरे पत्नी व बच्चों को मार रहे थे। जो बदमाश मुझे मार रहा

था वह सरिया से मुझे मार रहा था। मुझे बहुत कम समय तक मारा था। लगभग एक मिनट–दो मिनट मारा था। ....**यह सही है कि मैंने अपने तहरीर में मेरे घर में जो घटना घटित हुई थी उसमें संख्या नहीं लिखा था। कुछ बदमाश लिखा था। ....यह सही है कि तहरीर में मैंने यह नहीं लिखा था कि बदमाश किस कद काठी के थे और किस उम्र के थे। तहरीर में यह भी नहीं लिखा है कि बदमाश किस रंग रूप के थे। जब मुल्जिमान मेरे घर में घटना कर रहे थे तब बोल नहीं रहे थे। केवल तोड़ फोड़ रहे थे। मुल्जिमान की कोई हुलिया अपने तहरीर में नहीं लिखा है। लूटे गये सामानों के बारे में मैंने तहरीर में कुछ नहीं लिखा है।** मैंने तहरीर में यह भी नहीं लिखा है कि मैं मुल्जिमान को व लूटे गये सामानों सामने आने पर पहचान सकता हूॅ।..........मैंने दरोगा जी को एक बात बतायी थी कि एक मुल्जिम लंगड़ा कर चल रहा था।......दरोगा जी को घटना वाले दिन मैंने जो बयान दिया था उसमें यह नहीं बताया था कि एक मुल्जिम लंगडा कर चल रहा था उसका नाम नहीं बताया था। पुनः जब मेरा बयान लिए थे तब नाम बताया था। **दरोगा जी को बाद में एक नाम जिलाजीत का बताया था। उसका नाम मुझे किसने बताया था मैं बता सकता। मैं स्वंय जानकारी करके बताया। जिलाजीत का नाम मैंने केवल बताया था और किसी का नाम नहीं बताया था। पुलिस वाले मुझसे किसी मुल्जिम का कार्यवाही शिनाख्त नहीं करवाये थे।** जो माल बरामद हुआ था उसकी शिनाख्त करवाये थे। जौहरडीह क्रासिंग के पास दरोगा जी शिनाख्त कराये थे। अलग से कोई कार्यवाही शिनाख्त नहीं करवाये थें दरोगा जी चांदी की करधनी,चांदी का दो चूल्ला,दो पायल,दो बिछिया,एक चांदी का लाकेट बहरामद हुए थे ये जेवरात मेरी पत्नी व छोटे बच्चों के थे। जो मेरी पत्नी व बच्चों के जेवरात थे उसे मैंने खरीदा था। इसकी रसीद मुझे मिली थी लेकिन वह है नहीं। उस रसीद को न तो दरोगा जी को दिया था न मैं रखा हूॅ।.........जो जेवरात मुल्जिम से बरामद हुआ था वह बाक्स में रखा था। बाक्स तोड़कर उठा ले गये थे। ....दरोगा जी मुझे माल पकडने की सूचना नहीं दिये थे। मैं जौहरडीह क्रासिंग पर जा रहा था वहां काफी भीड़ थी। मैं भी रूका तब दरोगा जी वहीं मुझे बुलाये। मुझे माल व मुल्जिम की पहचान कराये। ....मैं अकस्मात क्रासिंग पर पहुॅच गया था। ....**दरोगा जी फर्द की कार्यवाही क्या–क्या किये थे मैं नहीं जानता हूॅ। दरोगा जी बैंग में रखी पालिथीन से मुझे माल दिखाया और माल देखकर पहचान कर दस्तखत बनाकर चला गया। मेरे सामने अन्य किसी का हस्ताक्षर नहीं हुआ था। ......माल बरामद हुआ**

<u>था उसका वजन कितना था मैं नहीं बता सकता। जो उक्त माल मेरे पत्नी व लड़के का बरामद हुआ था उसे पहचान करने के लिए मेरी पत्नी व लड़के को न बुलाये न पहचान कराए।</u>'' इसप्रकार इस साक्षी ने साफ तौर पर यह कहा है कि उसने मुल्जिमान की कद काठी नहीं बताया था। उनका रंग रूप नहीं बताया था। यह भी कथन किया है कि पुलिस ने मुल्जिमान की कार्यवाही शिनाख्त नहीं करवायी थी और न ही बरामद माल की उसकी पत्नी व बच्चों से शिनाख्त करवाया गया था। इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उसने केवल जिलाजीत का नाम बाद में दरोगा जी को बताया था। इसप्रकार इस साक्षी के बयान से यह स्पष्ट है कि इसने अभियुक्त कल्लू पठान उर्फ मंजूर खां को नहीं पहचाना था और न ही पुलिस ने उसकी शिनाख्त कार्यवाही ही करवायी थी।

अभियोजन की ओर से **साक्षी पी.डब्लू.2** के रूप में **उर्मिला त्रिपाठी** को परीक्षित कराया गया है। यह साक्षी प्रकरण की चक्षुदर्शी साक्षी/चोटहिल साक्षी है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि–''**<u>घटना दिनांकः 9/10 जुलाई 2010 की रात करीब डेढ़ बजे की है, मैं अपने परिवार के साथ खाना पीना खाकर सो रही थी, करीब डेढ़ बजे रात में तोड़ फोड़ व खट पट की आवाज सुनाई दी तब मैं मेरे पति व परिवार के अन्य लोग जग गये तो देखा कुछ बदमाश मेरी चहारदीवारी कूद कर मेरे घर में घुस गये थे, बदमाश कच्छा बनियान पहने थे और उनके हाथों में डंडा व लोहे की राड थी,</u>** <u>हम लोगों ने बदमाशों को चादनी रात व बिजली के प्रकाश की रोशनी में मुल्जिमानों को देखा व पहचाना, बदमाशों में से एक बदमाश लंगडाकर चल रहा था, सभी बदमाश मिलकर मेरे घर का ताला तोड रहे थे, हम लोग डरते डरते हुए बदमाशों को ताला तोड़ने से मना किया तो सभी बदमाश मिलकर मुझे, मेरे पति को, मेरी पुत्री निधि व पुत्र प्रवीण कुमार को भी डंडे व लोहे की राड़ से मारे पीटे तथा घर के अंदर घुसकर जेवरात व कपड़े लूटकर चले गये, घर में रखे टी.वी. को भी तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। मुल्जिमानों के मारने से मुझे व मेरे परिवार के अन्य लोगों को काफी चोटे आयी थी। घटना की रिपोर्ट मेरे पति ने थाने पर दर्ज करायी थी। दौरान विवेचना पुलिस वालों ने उपरोक्त मुकदमे के मुल्जिमानों के पास से मेरे घर से लूटी गयी जेवरात व अन्य सामान को बरामद किया था, अभियुक्त कल्लू पठान उर्फ मंजूर खान को पुलिस वालों ने पकड़ा था तब हम लोगों को सूचना हुई थी, मेरे पति मौके पर गये थे और जेवरात को पहचाना था। हम लोगों के शरीर पर आयी चोटों का डाक्टरी मुआइना</u>

सरकारी अस्पताल में हुआ है, बरामद साड़ी व अंगूठी की पहचान मेरी लड़की ने किया था, पांच बदमाश मेरे घर के अन्दर घुसकर मारपीट किये थे, हम लोगों को मृत्यु के भय में डालकर लूटपाट लिये थे। बाद में मुझे जानकारी हुई कि जो मुल्जिमान मेरे घर में घुसकर हम लोगों को मृत्यु के भय में डालकर लूटपाट किये थे, उनका नाम जिलाजीत राजभर, मटरू, कल्लू पठान, छोटे लाल वर्मा व राजेन्द्र यादव था। घटना के संबंध में पुलिस वालों ने मेरा भी बयान लिया था।'' इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किए जाने पर साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि–''इस घटना में मुझे चोट आयी थी। मेरी डाक्टरी हुई। ....जब मेरे पति थाने गये थे तो मुझसे पूछे थे कि मुल्जिमान कौन समान ले गये है। तब मैंने लूट में गये समानों को बतायी थी। ....बदमाशो को मैं घर में देखी थी। **बदमाश पांच लोग थे। बदमाश बोल भी रहे थे। मैं बदमाशो को नहीं पहचानती थी। मेरे घर वाले बदमाशो को पहचानते थे कि नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन मैं नहीं पहचानी थी। बदमाशो की कोई हुलिया मैं नहीं बता सकती। ....मैं कोई शिनाख्त कार्यवाही में नहीं उपस्थित थी।** मेरा कौन सा सामान लूट कर ले गये थे मुझे याद है। ....समानों का वजन मुझें याद नहीं है। जेवर वाला समान मटरू के वहॉ व जिलाजीत के वहॉ से दो साड़ी बरामद हुई थी। कल्लू के यहां से करधन दो जोडी, पायल, बच्चों का एक जोडी चुल्ला चांदी का लाकिट बिछिया बरामद हुई थी। यह बरामदगी की बात मुझे पुलिस वाले बताये थे। घटना के कितने दिन बाद डकैती वाला माल बरामद हुआ था मुझे नहीं याद है। मैंने कल्लू के घर से जो डकैती में माल बरामद हुआ था न देखा न जाना। जब मुल्जिम पकडे गये तो पुलिस वाले मेरे घर सूचना दिये कि मुल्जिम व माल मिला है आइये पहचान कर लीजिए।.......पुलिस के बुलाने पर ही मेरे पति, मेरी लडकी व मेरे परिवार वाले माल व मुल्जिम की शिनाख्त करने गये थे। **माल व मुल्जिम की मुझसे कोई शिनाख्त कार्यवाही नहीं कराई गई थी।** मुझे पुलिस वाले बताये कि मेरे घर में जो लूटपाट हुई थी उसे जिलाजीत,मटरू,कल्लू पठान,छोटेलाल व राजेन्द्र यादव ने घटना किया है। माल व मुल्जिम पकड़ने के बाद पुलिस वाले सूचना दिये थे। सभी मुल्जिमान 25 से 30 साल के थे। किस कद काठी के थे मुझे नहीं मालूम। मुझे चोट लगी थी। जबड़ा टूटा था। ....यह सही है कि कल्लू पठाने घटना में शामिल रहे होंगे तभी

पुलिस वालों ने मुझे उनका नाम बताये। '' इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने जिरह में यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि बदमाश बोल रहे थे जबकि वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान में यह कथन किया गया है कि बदमाश कुछ नहीं बोल रहे थे। इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि वह बदमाशों को नहीं पहचानती थी और यह भी कथन किया गया है कि पुलिस ने उससे माल व मुल्जिम की कोई शिनाख्त कार्यवाही नहीं करायी थी। इसप्रकार इस साक्षी ने किसी मुल्जिम को न तो पहचाना और न ही पुलिस ने अभियुक्तगण को गिरफतार करने के उपरांत इस साक्षी से किसी मुल्जिम की कार्यवाही शिनाख्त नहीं करवायी गयी। इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि घटना अभियुक्त कल्लू पठान द्वारा ही कारित किया गया है।

अभियोजन द्वारा साक्षी **पी.डब्लू.3** के रूप में **निधि त्रिपाठी** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपने बयान में यह कहा गया है कि–''घटना दिनांक 09-10 जुलाई 2010 की रात करीब डेढ़ बजे की है, मैं अपने परिवार के साथ खाना-पीना खाकर सो रही थी, करीब डेढ़ बजे रात में तोड़-फोड़ व खट पट की आवाज सुनाई दी तब मैं, मेरे - मम्मी पापा व परिवार के अन्य लोग उठे तो देखा कुछ बदमाश मेरी चहारदीवारी कूद कर मेरे घर में घुस गये थे, बदमाश कच्छा-बनियान पहने थे और उन लोगों के हाथ में डंडा व लोहे की राड़ था, हम लोगों ने चादनी रांत व बिजली के प्रकाश की रोशनी में बदमाशों को देखा व पहचाना, बदमाशों में से एक बदमाश लगड़ाकर चल रहा था, सभी बदमाश मिलकर मेरे घर का ताला तोड़ रहे थे, हम लोग डरते-डरते हुए बदमाशों को ताला तोड़ने से मना किया तो सभी बदमाश मिलकर मुझे, मेरे माता -पिता, भाई प्रवीण कुमार व बहन प्रज्ञा को भी डंडे व लोहे की राड़ को मारे-पीटे तथा घर के अंदर घुसकर जेवरात व कपड़े लूटकर चले गये, घर में रखे टी०वी० को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया, मुल्जिमानों के मारने से मुझे व मेरे परिवार के अन्य लोगों को काफी चोटे आयी थी, घटना की रिपोर्ट मेरे पिता ने थाने पर दर्ज करायी थी, दौरान विवेचना पुलिस वालों ने उपरोक्त मुकदमें के मुल्जिमानों के पास से मेरे घर से लूटी गयी जेवरात व अन्य सामान को बरामद किया था, अभियुक्त कल्लू पठान उर्फ मंजूर खान को पुलिस वालों ने पकड़ा था तब पुलिस वालों ने मेरे परिवार वालों को सूचना दी थी, तब मेरे पिता मौके पर गये थे और मुल्जिम कल्लू पठान उर्फ मंसूर खान को व जेवरातों को पहचाना था, हम लोगों के शरीर पर आयी चोटों का

डॉक्टरी मुआइना जिला अस्पताल अम्बेडकर नगर में हुआ है, मुझे व मेरी मां को गंभीर चोट आने के कारण चिकित्सकों ने हम लोगों को ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रिफर किया था जहां पर हम लोगों का इलाज हुआ था, मेरे भाई व बहन ने बरामद साड़ी व अंगूठी की पहचान किया था, पांच बदमाश मेरे घर के अंदर घुसकर मारपीट किये थे, हम लोगों को मृत्यु के भय में डालकर लूट-पाट लिये थे, बाद में हम लोगों जानकारी हुई की जो मुल्जिमान मेरे घर में घुसकर हम लोगों को मृत्यु के भय में डालकर लूटपाट किये थे उनके नाम जिलाजीत राजभर, कल्लू पठान, छोटे लाल वर्मा, मटरू, व राजेन्द्र यादव था। घटना के सम्बन्ध में पुलिस वालों ने मेरा भी बयान लिया था।'' इसप्रकार इस साक्षी द्वारा

जिरह में इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि–''**बदमाश जब मेरे घर में घुसे थे तो मैं सो रही थी। बदमाश मेरे घर में कब घुसे थे मैंने नहीं देखा था। जब मारपीट शुरू हो गयी तब मैं जगी थी।** जब मैं जगी तो बदमाश ने मुझे भी मार दिया मैं गिर गयी। बदमाशो की सामान्य कद काठी थी। **चूंकि घटना रात की थी इसलिए मैंने बदमाशों की लम्बाई,चौड़ाई,रूप रंग इत्यादि नहीं बता सकती। बदमाशो के हुलिया के बारे में भी स्पष्ट नहीं बता सकती। बदमाशो ने मुझसे कोई समान नहीं छीना था।** मुझे सभी बदमाशो ने मारा था या एक ही ने मारा था मैं स्पष्ट नहीं बता सकती, लेकिन मुझे किसी ने मारा था। बदमाशा ने मुझे साइड से मारा था। मैं गिर गयी थी क्योंकि चोट मुझे काफी आ गयी थी। चोट गहरी थी इसलिए मैं उठ नहीं पायी और कुछ देख नहीं पायी। ....**मैंने दरोगा जी को केवल यह बताया था कि घटना 9/10.07.2010 के रात डेढ़ बजे की है जो मेरे मम्मी ने बयान दिया है वही मेरा बयान है। इसके अतिरिक्त मैंने दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया था।** घटना के दो तीन महीने के अंदर ही मुल्जिम पकडे गये थे। ......मैं लगभग एक महीने तक अस्पताल में भर्ती थी। ....जब मुल्जिम पकडे गये तब पुलिस मेरे घर बुलाने आयी थी और मेरे पापा को ले गयी थी। वही अकेले मुल्जिमान व माल की शिनाख्त करने गये थे। **मुल्जिम व माल की शिनाख्त कराने पुलिस मुझे कभी नहीं ले गयी। ....मैंने किसी साड़ी या जेवर की पहचान नहीं की थी।** मेरे भाई व बडी बहन ने पहचान किया था। यह बात मेरे भाई व बहन ने बतायी थी कि हम लोग साडी व अंगूठी की पहचान करने गये थे। मेरे भाई व बहन साड़ी व अंगूठी की पहचान करने कब गये थे मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं ट्रामा सेन्टर में थी।'' इसप्रकार इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि घटना के

समय वह सो रही थी। बदमाशो को घर में घुसते नहीं देखा जब मार पीट शुरू हुई तब जगी। यह भी कथन किया है कि बदमाशो का रंग रूप लम्बाई चौड़ाई नहीं बता सकती। इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उससे किसी माल या मुल्जिम की शिनाख्त कार्यवाही पुलिस ने नहीं करायी थी।

साक्षी **पी.डब्लू.4** के रूप में **रामनयन यादव सेवानिवृत्त हेड कां0** को परीक्षित कराया गया है जिसके द्वारा अपने बयान में चिक एफ.आई.आर को प्रदर्श क–4 व कायमी जी.डी.को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है तथा द्वितीयक साक्षी के रूप में नक्शा नजरी को प्रदर्श क–6 व प्रदर्श क–7, फर्द बरामदगी को प्रदर्श क–8 के रूप में साबित किया है। यह साक्षी एक औपचारिक साक्षी है।

जिरह में इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि–**" प्रदर्श क–1 व प्रदर्श क–4 पर कोई नामजद मुल्जिम नहीं है। प्रदर्श क–1 व प्रदर्श क–4 में बदमाशों की कोई हुलिया,रूप रंग,कद काठी,बोल भाष उम्र का उल्लेख नहीं है। कल्लू पठान मुल्जिम जो आरोप पत्र में नामित है उनकी कोई कार्यवाही शिनाख्त नहीं करायी गयी, यह कार्य विवेचक का है। प्रदर्श क–2 फर्द बरामदगी पर वादी मुकदमा के हस्ताक्षर के अलावा अन्य किसी व्यक्ति या पब्लिक के गवाह का या वादी के परिवार का हस्ताक्षर नहीं है।.....फर्द बरामदगी में कोई जनता का गवाह नहीं है।** " इसप्रकार इस साक्षी द्वारा यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि कल्लू पठान की कोई कार्यवाही शिनाख्त नहीं करायी गयी है। यह भी कथन किया गया है कि फर्द पर पब्लिक के किसी साक्षी का हस्ताक्षर नहीं है। वादी मुकदमा का हस्ताक्षर है किन्तु वादी के परिवार के किसी सदस्य का हस्ताक्षर नहीं है।

साक्षी **पी.डब्लू.5** के रूप में **प्रज्ञा त्रिपाठी** को परीक्षित कराया गया है जिसके द्वारा अपने बयान में यह कथन किया गया है कि–"घटना दिनांक 09/10 जुलाई 2010 की रात करीब 01:30 बजे की है, मैं अपने परिवार के साथ खाना खाकर आंगन में सो रही थी, करीब 01:30 बजे रात में तोड़-फोड़ व खट-पट की आवाज सुनाई दी तब मैं, मेरे -मम्मी पापा व परिवार के अन्य सदस्य उठे और देखा कुछ बदमाश मेरी चहारदीवारी को कूद कर मेरे घर में घुस गये थे, बदमाश कच्छा-बनियान पहने थे और उन लोगों के हाथ में लोहे की राड़ व डंडा था, हम लोगों ने उजाली रांत व बल्ब के प्रकाश में बदमाशों को देखा व पहचाना, बदमाशों में से एक बदमाश लगड़ा कर चल रहा था, सभी बदमाश मिलकर मेरे घर का ताला तोड़ रहे थे, हम लोग डरते-डरते हुए बदमाशों को ताला तोड़ने से मना किया तो सभी बदमाश मिलकर मुझे, मेरे माता -पिता, भाई प्रवीण कुमार व बहन निधि को भी लोहे की राड़ व डंडे से मारे-पीटे तथा घर के अंदर घुसकर

जेवरात व कपड़ों को लूटकर चले गये, घर में रखे टी०वी० को क्षतिग्रस्त कर दिया, मुल्जिमानों के मारने से मुझे व मेरे परिवार के अन्य लोगों को काफी चोटे आयी थी, घटना की रिपोर्ट मेरे पिता ने थाने पर लिखवायी थी, दौरान विवेचना पुलिस वालों ने उपरोक्त मुकदमें के मुल्जिमानों के पास से मेरे घर से लूटी समान व जेवरातों को बरामद किया था, अभियुक्त कल्लू पठान उर्फ मंजूर खान को पुलिस वालों ने पकड़ा था, मेरे पिता मौके पर गये थे और मुल्जिम कल्लू पठान उर्फ मंसूर खान को व जेवरातों को पहचाना था, हम लोगों के शरीर पर आयी चोटों का डॉक्टरी मुआइना जिला अस्पताल अम्बेडकर नगर में हुआ है, मेरी बहन निधि व मेरी मां को गंभीर चोट आने के कारण चिकित्सकों ने उन लोगों को ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रिफर किया था जहां पर उन लोगों का इलाज हुआ था, मैंने बरामद साड़ी व अंगूठी की पहचान किया था, पांच बदमाश मेरे घर के अंदर घुसकर मारपीट किये थे, हम लोगों को मृत्यु के भय में डालकर लूट-पाट लिये थे, बाद में हम लोगों जानकारी हुई की जो मुल्जिमान मेरे घर में घुसकर हम लोगों को मृत्यु के भय में डालकर लूटपाट किये थे उनके नाम जिलाजीत राजभर, मटरू, कल्लू पठान, छोटे लाल वर्मा व राजेन्द्र यादव था। घटना के सम्बन्ध में पुलिस वालों ने मेरा भी बयान लिया था। ....उपरोक्त मुकदमें का माल मुकदमाती जिसे अभियुक्त जिलाजीत व मटरू के पास से पुलिस वालों ने बरामद किया था, साड़ी व सोने की अंगूठी सीलयुक्त अवस्था में न्यायालय के समक्ष मौजूद है, जिसे न्यायालय की अनुमति से खोला गया, साक्षी ने माल मुकदमाती साड़ी व अंगूठी की पहचान किया जिस पर वस्तु प्रदर्श 2 व वस्तु प्रदर्श 3 डाला गया, उपरोक्त मुकदमें के विवेचक ने मेरा बयान लिया था।''इसप्रकार मुख्य परीक्षा में इस साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किए जाने पर साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि—''मेरे घर में जब मुल्जिमान लूटपाट करने लगे तब सारे परिवार के लोग ज ग गये। मुझको भी बदमाश मारे थे। गर्दन पर चोट आयी थी। गर्दन पर बदमाशो ने एक लाठी मारे कि दो लाठी मारे मैं जमीन पर बैठ गयी थी मुझको बदमाश कितनी लाठी मारे मैं नहीं बता सकती। मुझको एक ही बदमाश मार रहा था। मेरे परिवार के सदस्यो को भी वही बदमाश मार रहा था। एक बदमाश अलावा शेष बदमाश घर में लूटपाट कर रहे थे। साथ में सारे बदमाश लूटपाट करके भाग गये। जो मेरे परिवार वालों को मार रहा था वह सांवला था। छोटे कद का था। सब बदमाशो को देखी थी। सब एक ही कदकाठी व सांवले रंग के थे। ....मैंने दरोगा जी को बदमाशो की हुलिया बतायी थी। ....सभी बदमाशो को भागते हुए मैंने देखा था। घर में घुसते वक्त नहीं देखा था। ....**जेल में मैं या मेरे परिवार का कोई शिनाख्त करने नहीं गया था। लगभग एक महीना बाद बदमाश जब पकडे गये थे तब थाने में बन्द थे तब मेरे पापा को पुलिस बुलाकर कोतवाली ले गयी थी। मैं**

अपने पापा के साथ नहीं गयी थी। पापा अकेले गये थे।.........कल्लू पठान के पकड़ने के बाद मैं नहीं गयी थी। जिलाजीत व मटरू के गिरफतारी के बाद मैं माल पहचानने गयी थी। मैं अपने छोटे भाई के साथ गयी थी। जब मैं माल पहचान करने गयी थी तब मेरे व मेरे भाई के हस्ताक्षर नहीं कराए थे। साड़ी जेवरात मेरी मॉ का था। मैंने न खरीदा था न पहना था। किस बदमाशा ने ताला तोड़ा था मैं नहीं जानती। ....बदमाशो के बोलने की भाषा मैंने नहीं सुनी थी। .....बदमाश जो मेरे घर में लूटपाट किया था और मुझे मारा पीटा उनका नाम पता मुझे उस समय नहीं मालूम था न ही मैंने उनकी कोई शिनाख्त किया था। पुलिस वालों ने मेरे पिता जी को बताया था कि आपके घर में जिलाजीत,मटरू,कल्लू पठान,छोटेलाल वर्मा व राजेन्द्र यादव ने लूटपाट किया है। पिता जी के बताने पर मैंने उपरोक्त मुल्जिमानों का नाम बताया। इस मुकदमें में आरोपित मुल्जिमानों का नाम पिता जी के बताने के अनुसार मुख्य परीक्षा में बताया है। मेरे घर में किन लोगों ने लूटपाट किया मैं नहीं जानती। '' इसप्रकार इस साक्षी द्वारा यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि बदमाशो की शिनाख्त उससे नहीं करायी गयी थी। बदमाशों के बोलने की भाषा उसने नहीं सुनी थी। बदमाशों का नाम पुलिस ने उसके पिता को बताया था और उसके पिता ने उसे मुल्जिमानों का नाम बताया था। पिता के बताने पर वह मुल्जिमान का नाम बता रही है। यह भी कथन किया है कि मेरे घर में किन लोगों ने लूटपाट किया मैं नहीं जानती।

पी.डब्लू.6 प्रवीण कुमार त्रिपाठी को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपने बयान में यह कथन किया गया है कि–''घटना दिनांक 09-10 जुलाई 2010 की रात करीब 01:30 बजे की है, मैं अपने परिवार के साथ खाना-पीना खाकर सो रहा था, रात करीब डेढ़ बजे तोड़-फोड़ व खट पट की आवाज सुनाई दी तब मैं, मेरे - मम्मी पापा व परिवार के अन्य लोग उठे तो देखा कुछ बदमाश मेरी चहारदीवारी कूद कर मेरे घर में घुस गये थे, बदमाश कच्छा-बनियान पहने थे और उन लोगों के हाथ में डंडा व लोहे की राड़ था, हम लोगों ने चादनी रांत व बिजली के प्रकाश की रोशनी में बदमाशों को देखा व पहचाना, बदमाशों में से एक बदमाश लगड़ाकर चल रहा था, सभी बदमाश मिलकर मेरे घर का ताला तोड़ रहे थे, हम लोग डरते-डरते हुए बदमाशों को ताला तोड़ने से मना किया तो सभी बदमाश मिलकर मुझे, मेरे माता - पिता, बहन प्रज्ञा व निधि को भी डंडे व लोहे की राड़ से मारे-पीटे तथा घर के अंदर घुसकर जेवरात व कपड़े लूटकर चले गये, घर में रखे टी०वी० को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया, मुल्जिमानों के मारने से मुझे व मेरे परिवार के अन्य लोगों को काफी चोटे आयी थी, घटना की रिपोर्ट मेरे पिता ने थाने पर दर्ज करायी थी, दौरान विवेचना पुलिस वालों ने उपरोक्त मुकदमें के मुल्जिमानों के पास से मेरे घर से लूटी गयी

जेवरात व अन्य सामान को बरामद किया था, हम लोगों के शरीर पर आयी चोटों का डॉक्टरी मुआइना जिला अस्पताल अम्बेडकर नगर में हुआ है, मेरी बहन व मां को गंभीर चोट आने के कारण चिकित्सकों ने उन लोगों को ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रिफर किया था जहां पर उन लोगों का इलाज हुआ था, हम लोगों को मृत्यु के भय में डालकर मुल्जिमानों ने लूट-पाट किया था, बाद में हम लोगों जानकारी हुई की जो मुल्जिमान मेरे घर में घुसकर हम लोगों को मृत्यु के भय में डालकर लूटपाट किये थे उनके नाम जिलाजीत राजभर, कल्लू पठान, छोटे लाल वर्मा, मटरू, व राजेन्द्र यादव था। घटना के सम्बन्ध में पुलिस वालों ने मेरा भी बयान लिया था।''

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किए जाने पर साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि–''जब हम लोग सो रहे थे तब बदमाश घर में घुसे थे। बदमाशो को हम लोगों ने घर में घुसते हुए नहीं देखा था।......हमारे मम्मी पापा को बदमाशों ने मारा तो वे वहीं गिर गये।.......मैं मुल्जिमान की कोई शिनाख्त करने नहीं गया था। **मुल्जिमान के पास से जो माल बरामद हुआ था उसकी भी शिनाख्त कार्यवाही करने मैं नहीं गया था।.......मुल्जिमान का नाम मुझे पुलिस वालों ने बताया था। पुलिस के बताने के आधार पर मुल्जिमानों का नाम न्यायालय में बता रहा हूँ।**......जिस मुल्जिम ने मुझे मारा था उसकी लम्बाई–चौडाई मैं नहीं बता सकता। मुल्जिमान कच्छा बनियान में थे। किस रंग का कच्छा बनियान पहने थे मैं नहीं बता सकता। मुल्जिमान कुछ बोल नहीं रहे थे ....मुल्जिमान को मैंने किसी हथियार के साथ नहीं देखा था। उनके हाथ में केवल डण्डा व लोहे का राड था। मुल्जिम ने मुझे किस हथियार से मारा मैं नहीं देख पाया। ''इसप्रकार इस साक्षी से भी मुल्जिमानों की कार्यवाही शिनाख्त नहीं करायी गयी है और मुल्जिमानों का नाम इसे पुलिस ने बताया था।

पी.डब्लू.7 के रूप में क्षेत्राधिकारी विमल कुमार सिंह को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने बयान में यह कथन किया है कि–''मैं दिनांक 10.07.2010 को थाना - कोतवाली अकबरपुर, जनपद – अम्बेडकरनगर में प्रभारी निरीक्षक के पद पर कार्यरत था, उस दिन वादी मुकदमा के लिखित तहरीर के आधार पर उपरोक्त मुकदमा थाने पर दर्ज हुआ था, जिसकी विवेचना मेरे द्वारा स्वयं ग्रहण की गयी, दिनांक 10.07.2010 को पर्चा नं० 1 किता किया जिसमें नकल चिक नकल रपट, चोटहिल योगेन्द्र कुमार, प्रवीण, निधि, कु० प्रज्ञा का मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसका अवलोकन कर संलग्न सी०डी० किया, वादी मुकदमा योगेन्द्र कुमार त्रिपाठी का बयान अंकित किया और उसकी निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा-नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया, जिस पर प्रदर्श क 6 पूर्व में डाला गया है। समयी साक्षी के रूप में जगदम्बा पाण्डेय, विजय कुमार का बयान अंकित किया, दिनांक 11.07.2010

को पर्चा नं० 2 में अभियुक्तगण के बारे में पता किया किन्तु कोई लाभप्रद जानकारी नहीं हो सकी और दिनांक 12.07.2010 को पर्चा नं० 3 में वादी योगेन्द्र कुमार त्रिपाठी का मजीद बयान अंकित किया। दिनांक 13.07.2010 को पर्चा नं० 4 में चोटहिल रवीन्द्र त्रिपाठी, कु० प्रज्ञा का बयान अंकित किया। अभियुक्त जिलाजीत राजभर, मटरू को नियमानुसार गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित किया। अभियुक्तों ने घटना को स्वीकार किया। फर्द बरामदगी माल अभियुक्त की निशादेही पर बरामद कर सील-मोहर कर नमूना मोहर तैयार कर फर्द बरामदगी तैयार की गयी। फर्द पर मौजूद लोगों ने अपना हस्ताक्षर बनाया तथा उसकी नक्शा-नजरी भी बनाया, जिस पर पूर्व में प्रदर्श क 7 व प्रदर्श क 8 डाला गया है तथा अभियुक्त नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड की याचना किया। दिनांक 14.07.2010 को पर्चा नं० 5 से दिनांक 01.08.2010 को पर्चा नं० 13 तक किता किया जिसमें अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र, धारा 82 व धारा 83 के संबंध में कार्यवाही किया। दिनांक 08.08.2010 को पर्चा नं० 14 में अभियुक्त कल्लू पठान को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से वादी के घर से लूटे गये चांदी के जेवरात को बरामद कर सील मोहर किया गया। फर्द भी मौके पर नियमानुसार तैयार किया गया और मौजूद लोगों के हस्ताक्षर बनवाया गया। अभियुक्त का नियमानुसार बयान अंकित करने के पश्चात् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड की याचना किया। फर्द बरामदगी पर पूर्व में प्रदर्श क 2 डाला गया है। दिनांक 12.08.2010 से दिनांक 12.09.2010 तक पर्चा नं० 15 से पर्चा नं० 25 किता किया जिसमें सह अभियुक्त राजेन्द्र यादव के सम्बन्ध में हुई कि वह किसी अन्य मुकदमें में जिला कारागार जौनपुर में निरूद्ध है, वारण्ट बी० लेने हेतु न्यायालय को रिपोर्ट को प्रेषित किया, वारण्ट बी० प्राप्त हुआ तथा उपरोक्त मुकदमें में न्यायालय की अभिरक्षा में नियमानुसार भेजा गया। अभियुक्त छोटे लाल के सम्बन्ध में धारा 82 व धारा 83 हेतु कार्यवाही किया। दिनांक 24.09.2010 को पर्चा नं० 26 में चोटहिल उर्मिला तिवारी, कु० निधि, कु० प्रभा का बयान अंकित किया। अभियुक्त छोटे लाल के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ से छोटेलाल को परेशान न करने का निर्देश प्राप्त किया। दिनांक 01.10.2010 को पर्चा नं० 27 में तमामी विवेचना के आधार पर उपरोक्त मुकदमें के अभियुक्तगण जिलाजीत, मटरू, कल्लू उर्फ पठान के विरूद्ध धारा 395 व 412 भा०दं०सं० में आरोप पत्र तथा अभियुक्त छोटेलाल वर्मा के विरूद्ध धारा 395 व 412 भा०दं०सं० में मखरूरी में आरोप पत्र अपने हस्ताक्षर में तैयार किया तथा अभियुक्त राजेन्द्र यादव के विरूद्ध विवेचना जारी रखी। शामिल पत्रावली आरोप पत्र को मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क 9 डाला गया।''

जिरह में इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि –**''कल्लू पठान की गिरफतारी दिनांक 08.08.2010 को हुई थी। ......कल्लू पठान की गिरफतारी व बरामदगी घटना के लगभग एक माह बाद हुई थी। बरामद माल की कोई कार्यवाही शिनाख्त मैंने नहीं करायी थी। मुल्जिम कल्लू पठान की भी कोई कार्यवाही शिनाख्त**

<u>**मैंने नहीं करवायी थी। यह सही है कि मुल्जिम कल्लू पठान के पास से जो माल मैंने बरामद होना दिखाया है उस पर वादी मुकदमा व पुलिस कर्मियों के अलावा किसी पब्लिक के व्यक्ति का हस्ताक्षर नहीं है न किसी पब्लिक के गवाह के समक्ष मैंने बरामदगी किया।**</u> ''इसप्रकार स्वंय विवेचक/इस साक्षी द्वारा यह स्पष्ट कथन किया गया है कि अभियुक्त कल्लू पठान की गिरफतारी घटना के एक माह बाद की गयी थी और यह भी कथन किया गया है कि उसके द्वारा बरामद माल व अभियुक्त कल्लू पठान की कोई कार्यवाही शिनाख्त नहीं करायी गयी थी। यह भी कथन किया गया है कि कल्लू पठान के पास से जो माल बरामद हुआ था उस पर वादी व पुलिस के अलावा किसी पब्लिक के व्यक्ति का हस्ताक्षर नहीं है और न ही उसने पब्लिक के गवाह के समक्ष कोई बरामदगी किया।

पी.डब्लू.8 के रूप में चीफ फार्मासिस्ट नन्दलाल यादव को परीक्षित कराया गया है जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि—<u>''उपरोक्त मुकददमे के चोटहिल योगेन्द्र कुमार त्रिपाठी, प्रवीण, निधि, प्रज्ञा, उर्मिला का मेडिकोलीगल रिपोर्ट दिनांकः 10.07.10 को डाक्टर वी0बी0गौतम द्वारा किया गया है। जिनकी वर्तमान समय में मृत्यु हो चुकी है। उपरोक्त चोटहिलों का मेडिकोलीगल रजिस्टर में लेकर आया हूं। मेडिकोलीगल रजिस्टर से मिलान करने पर शामिल पत्रावली का0सं0—5अ/5 लगायत 5अ/9 की रिपोर्ट सही पायी गयी, जिसको मैं तस्दीक करता हूं। जिस पर क्रमशः प्रदर्श क—9, प्रदर्श क—10, प्रदर्श क—11, प्रदर्श क—12 व प्रदर्श क—13 डाला गया।</u>'' इसप्रकार यह साक्षी एक औपचारिक साक्षी है जिसके द्वारा मेडिकोलीगल रजिस्टर से चोटहिलों के चोटों को प्रमाणित किया गया है और यह कथन किया गया है कि चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डाक्टर वी.बी.गौतम की मृत्यु हो चुकी है।

इसप्रकार उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त कल्लू पठान की कोई कार्यवाही शिनाख्त किसी भी साक्षी से नहीं करायी गयी है और न ही घटना से संबंधित माल को जनता के किसी साक्षी के समक्ष बरामद किया गया है और न ही उक्त माल की शिनाख्त ही करायी गयी है। किसी भी साक्षी ने अभियुक्त की पहचान नहीं किया है कि यही वह अभियुक्त है जिसने घटना कारित किया है। यह सही है कि वादी के साथ उक्त घटना घटित हुई है और वादी व उसके परिवार को घटना में चोटें आयी तथा वादी के घर में डकैती हुई किन्तु इस स्तर पर पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त

घटना को अभियुक्त **कल्लू पठान उर्फ मंजूर खॉ** द्वारा ही कारित किया गया है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्य परिस्थितियों अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यो को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का यह अभिमत है कि अभियोजन अभियुक्त **कल्लू पठान उर्फ मंसूर खॉ** पर लगाये गये आरोप अंतर्गत् धारा–395,412 भा.द.सं. को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियोजन अभियुक्त **कल्लू पठान उर्फ मंसूर खॉ** पर लगाये गये आरोप अंतर्गत् धारा–395,412 भा.द.सं. को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त **कल्लू पठान उर्फ मंसूर खॉ** आरोप अंतर्गत् धारा–395,412 भा.द. सं. के अपराध के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **कल्लू पठान उर्फ मंसूर खॉ** को धारा–395,412 भा.द.सं. के के अपराध के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त पूर्व से जमानत पर हैं। उसके स्वीय बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए धारा–437 ए दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत मु0 20,000/ रूपये (बीस हजाररूपये) के दो प्रतिभू सहित, जमानत बन्धपत्र निष्पादित करें।

दिनांकः–09.03.2026

(राम विलास सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,प्रथम
अम्बेडकरनगर।
जे.ओ.कोड–यू.पी.6067

यह निर्णय, आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित,दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांकः–09.03.2026

(राम विलास सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,प्रथम
अम्बेडकरनगर।
जे.ओ.कोड–यू.पी.6067

C.N.R.NO-UPAN010004312010
Session Trial/100205/2010